कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं0 07 / 1-12 देहरादून दिनांक, 07 सितम्बर, 2020

पदोन्नति / तैनाती

इस कार्यालय के पत्रांक 362 / 1-12 दिनांक 04-09-2020 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया था। पदोन्नति समिति की दिनांक 07-09-2020 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **वरिष्ठ सहायक वेतनमान रू0 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स लेविल-5 के कार्मिकों को प्रधान सहायक वेतनमान 35,400-1,12,400 वेतन मैट्रिक्स लेविल 6 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत** कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख **कॉलम-4** में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री ईशान ध्यानी	मुख्य वन संरक्षक, इकोटूरिज्म देहरादून	मुख्य वन संरक्षक, इकोटूरिज्म देहरादून
2	श्री गजपाल लाल आर्य	प्र0व0 नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	प्र0व0 भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल
3	श्री अशोक भारद्वाज	प्र0व0 लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार	प्र0व0 लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार
4	श्रीमती रामेश्वरी देवी	प्र0व0 केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर	निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर
5	श्रीमती सीता सैन्द्री	निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून	निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून
6	श्री शैलेन्द्र नौटियाल	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, हल्द्वानी	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, हल्द्वानी (मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी देहरादून हेतु)
7	श्रीमती मोनिका लटवाल	मु0व0सं0, मा0सं0 वि0 एवं कार्मिक प्रबंधन देहरादून	मु0व0सं0, मा0सं0 वि0 एवं कार्मिक प्रबंधन देहरादून
8	श्री आशीष काला	प्र0व0 अपर यमुना वन प्रभाग वन प्रभाग बड़कोट	प्र0व0 अपर यमुना वन प्रभाग वन प्रभाग बड़कोट
9	श्री इरशाद अहमद	प्र0व0 रामनगर वन प्रभाग रामनगर	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी
10	श्री रंजन कुमार	प्र0व0 भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैंसडाउन	प्र0व0 भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैंसडाउन
11	श्री नंदन सिंह नेगी	प्र0व0 देहरादून वन प्रभाग देहरादून	प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव देहरादून
12	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट(द्वितीय)	प्र0व0 अलकनन्द्रा भू0सं0वन प्रभाग गोपेश्वर	प्र0व0 अलकनन्द्रा भू0सं0वन प्रभाग गोपेश्वर
13	श्री हर्षपति पुरोहित	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 सं0 11 / xxvii(7)30(14) / 2017 दिनांक 04-03-2017 के संलग्नक-1 के बिन्दु सं0 22 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भी अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. शासनादेश सं0 206 / XXX(2) / 2020 / 30(13) / 2017 टी0सी0 दिनांक 31-08-2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 19(2) में उल्लिखित संक्रमण काल की अवधि को न्यूनतम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30-06-2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। **जिन कार्मिकों ने अपने सेवाकाल के आधे भाग की सेवा दुर्गम स्थान पर नही की गयी है तथा अधिनियम की धारा-7 खण्ड 'घ' से आच्छादित नही हैं और उन्हें सुगम स्थान में तैनाती दे दी**

गयी उनकी पदोन्नति तभी स्वीकार की जाय जब वह इस आशय का बंधक पत्र प्रस्तुत करेगें कि भविष्य में उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार दुर्गम स्थल की सेवा पूर्ण करने हेतु उनका स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति उपरान्त तैनाती दुर्गम स्थल में होने पर वह कोई अपत्ति नही करेगें।

3. संबंधित कार्मिक अपनी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया है और कार्मिक का **पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा** ।

4. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नही की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रुप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

5. कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध करा दी जाये।

6. स्थानान्तरण की स्थिति में जिन कार्यालयों में योगदान दिया जाना है उनके नियंत्रक अधिकारी तभी योगदान स्वीकृत करें जब संबंधित कार्यालय से कार्यमुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया हो।

7.9.2020

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश सं0 07 (1)/ 1-12 **तद्दिनांकित्।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आदेश में अंकित समस्त अधिकारी/कार्यालय।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु0व0सं0, आई0टी0जी0सी0, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

7.9.2020

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक
प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

I.T.G.C
9/9